मूकबधिरों की शिक्षा एवं गैर सरकारी प्रयास

दीपिका*

शिक्षा का मानव जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वैयक्तिक भिन्नताओं के साथ ही विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा है। विभिन्न विशिष्ट प्रकार के बालको की समस्याओं, विशेषताओं, उनकी पहचान एवं निदान तथा शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रकाश डालना ही प्रस्तुत रिसर्च पेपर (शोध–पत्र) का उद्देश्य है। दिव्यांग बालकों को उन शैक्षिक सुविधाओं द्वारा जो सामान्य बालक को दी जाती है, पूर्णतया लाभान्वित नहीं किया जा सकता है, अतः इसके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए तथा शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि विशिष्ट बालक कौन है? और उनके प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है?

प्रस्तुत शोध पत्र में मूक बधिरों की समस्याओं, कारण एवं उनके शिक्षा–व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है, एवं उनके पुर्नवास सम्बन्धी कार्यक्रमों का वर्णन किया जायेगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मूक बधिरता है क्या?

श्रवणदोष अर्थात् सुनने की शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी को सुनने का बाधक मानते है। यह किसी भी प्रकार का व किसी भी सीमा तक हो सकता है। सुनने में बाधा की सीमा अधिक शक्तिशाली हो जाने से भाषा और वाणी की प्राकृतिक प्रगति में रूकावट आती है इसके साथ मौखिक बातचीत में बाधा उत्पन्न होती है। इसे हम श्रवणदोष अथवा बहरापन कहते है। शैक्षिक दृष्टि से इस अयोग्यता से ग्रस्त बालक मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में स्वयं को अक्षम पाता है।

बिल्कुल बहरा बच्चा वह होता है जो बिल्कुल सुन ही नहीं सकता। ऐसे बच्चे जन्मजात बहरें होते है या किसी रोग या वातावरण के कारण बहरें हो जाते है।

भारतीय पुर्नवास परिषद् अधिनियम 1992 के अनुसार :–

श्रवण विकलांगता का अर्थ बधिरता के साथ श्रवण क्षतिग्रस्तता है। अच्छे कान में 70 डेसीबल से अधिक अथवा दोनों कानों मे पूर्ण श्रवणदोष होना ही श्रवण अक्षमता है।

श्रवण विकलांगता दो तरह की हो सकती है।

(1) बहरें (Deaf)

(2) ऊँचा सुनने वाले (Hard of Hearing)

श्रवण दोष के कारण :–

1. वंशानुगत,
2. एक्स–रे
3. समान रक्तवर्ण में शादियाँ
4. पीलिया
5. टिटनेस
6. दुर्घटना
7. गर्भपात
8. शराब एवं नशीली पदार्थो का सेवन
9. कान के ऊपर थप्पड़ मारना, इत्यादि।

मूक बधिर बालको की शिक्षा एवं पुनर्वासन् :–

विद्यालय में करीब 5 प्रतिशत ऐसे होते है, जो श्रवण दोष से ग्रसित होते है। सामान्यतः श्रवण सम्बन्धी दोष दो प्रकार के होते है–

1. पूर्ण बहरापन
2. आंशिक बहरापन

पूर्ण बहरापन :– पूर्ण बहरापन में बालक विशेष प्रवर्धक के प्रयोग के बाद भी कुछ नहीं सुनते तथा दूसरो की भाषा नहीं समझ पाते है।

आंशिक बहरापन :– आंशिक बहरापन में छात्र प्रवर्धक का प्रयोग करके दूसरों की बोली समझ लेते है या यदि उनसे उच्च स्वर में बोला जाये, तो वे उसे सुनकर समझ लेते है।

* शोध छात्रा (शिक्षा संकाय), तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर

पूर्णरूपेण बहरें बालकों की शिक्षा एवं समायोजन :–

पूर्ण बहरें बालकों को शिक्षा देने में क्रियात्मक कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए। चूंकि ऐसे बालक लाख उपाय के बावजूद कुछ सुन नहीं सकते, अतः उनमें क्रियात्मक कार्यो के माध्यम से कुछ निपुणता लायी जा सकती है। जैसे ऐसे बालकों को लकड़ी का सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा सीना सिखया जा सकता है, इत्यादि।

आंशिक रूप से बहरें बालकों की शिक्षा एवं समायोजन :–

ऐसे बालकों की शिक्षा समान्य बालकों के साथ ही कक्षा में दी जा सकती है, बशर्ते उन्हें उपर्युक्त आधुनिक श्रवण–साधन, जैसे इयर–फोन आदि का प्रयोग करने दिया जाता है।

कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने ऐसे बालको की शिक्षा के लिए सम्पूर्ण संचार उपागम के प्रावधान पर बल डाला है।

अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (A.Y.J.N.I.H.H.) :–

श्रवण विकलांगो (दिव्यांगो) के शिक्षण–प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं शोधकार्यो के लिए समर्पित यह संस्थान 1983 में मुम्बई में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य बधिरों के लिए नैदानिक चिकित्सा, शिक्षा पुनर्वास एवं व्यासवायिक सेवाएं प्रदान करना है। इस संस्थान के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

राजकीय मूक बधिर विद्यालय :–

श्रवण विकलांग बच्चों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए राज्य में बरेली, इलाहाबाद, आगरा, फर्रूखाबाद एवं गोरखपुर में विद्यालय स्थापित है।

संदर्भ :

1. राम. पी.एस. (2004) :– विशिष्ट बालक, आलोक प्रकाशन, लखनऊ, इलाहाबाद।
2. जोसेफ आर. ए. (2004) :– विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास समाकलन पब्लिशर्स, वाराणसी–221005
3. योजना, मई (2016) :– विकास का समर्पित मासिक,
4. सिंह अरूण कुमार (2014) :– उच्चतर नैदानिक मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली।
5. पण्डा, के. सी. (1962) :– ऐजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा0, लि0, नई दिल्ली।